


आदेश

राजस्थान अधिनस्थ कार्यालय लिपिकवर्गीय सेवा नियम, 1999 के नियम 32 के अन्तर्गत गठित विभागीय समिति द्वारा वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर घयन के उपरान्त निम्नलिखित चतुर्थ श्रेणी वर्ग के कार्मिकों को वर्ष 2016-2017 की रिक्तियों के प्रतिकूल उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से नियमित रूप से कनिष्ठ सहायक (लिपिक ग्रेड-द्वितीय) के पद पर निर्धारित वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल नं० एल-05 (L-5) में पदोन्नत कर उनके सम्मुख दर्शाये गये स्थानों पर एतद् द्वारा पदस्थापित किया जाता है-

क्र० सं०	कर्मचारी का नाम एवं पद	वर्तमान पदस्थापन	पदोन्नति पर पदस्थापन	घयन तिथि
1	श्री बाबूलात कारपेटर, बूक लिफ्टर	राज. कन्या महा. कोटा	सेवानिवृत्त वि० 30-11-16	01.04.2016
2	श्री राजेन्द्र कुमार टांक, च०श्रे० कर्मचारी	राज. कन्या महा. बीकानेर	राज. कन्या महा. बीकानेर	01.04.2016
3	श्री अम्बा लाल(अ०जा०), प्र०शा० वाहक	राज. कन्या महा. उदयपुर	राज. कन्या महा. उदयपुर	01.04.2016
4	श्री गोपाल लाल सालवी (अ०जा०), एनिमल केयर	राज. महा. नाथद्वारा	राज. महा. नाथद्वारा	01.04.2016
5	श्री मुकेश पवार, च०श्रे० कर्मचारी	राज. राजर्षि महा. अलवर	राज. राजर्षि महा. अलवर	01.04.2016
6	श्री हीरालाल यादव, च०श्रे० कर्मचारी	राज. वाणिज्य महा. अलवर	राज. वाणिज्य महा. अलवर	01.06.2016
7	श्री सुरेश चन्द(अ०जा०), च०श्रे० कर्मचारी	राज. कन्या महा. अलवर	राज. कन्या महा. अलवर	01.06.2016
8	श्री शंकर लाल वर्मा(अ०जा०), च०श्रे० कर्मचारी	राज. महा. टोंक	राज. महा. टोंक	01.06.2016
9	श्री हरि सिंह, च०श्रे० कर्मचारी	राज. कन्या महा. बालोतरा	राज. कन्या महा. बालोतरा	01.06.2016

उपरोक्त कार्मिकों का वेतन स्थिरीकरण उनके नाम के आगे अंकित तिथि से होगा परंतु जिस अवधि में उन्होंने कनिष्ठ सहायक पद का वास्तविक रूप से कार्य नहीं किया है, उस अवधि का ऐरियर उन्हें देय नहीं होगा।

उपरोक्त कर्मचारी दिनांक 15.3.19 तक अपने पदोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण कर लें, किसी कर्मचारी का कार्यग्रहण काल बढ़ाने सम्बन्धी प्रार्थना स्वीकार नहीं की जावेगी।


 आयुक्त


कॉलेज शिक्षा एवं विशिष्ट शासन सचिव,
 उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक: एफ.1(13)पीएस/निकाशि/2018/145

दिनांक: 08.03.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राज०, जयपुर।
2. सम्बन्धित प्राचार्य- कृपया संबन्धित कर्मचारी को पदोन्नत पद पर कार्यग्रहण करने हेतु अविलम्ब कार्यमुक्त करें अथवा इनके द्वारा पदोन्नति स्वीकार नहीं किये जाने की स्थिति में इनका प्रार्थनापत्र निर्धारित अवधि में आयुक्तालय को भिजवाना सुनिश्चित करें/संबन्धित कर्मचारी द्वारा पदोन्नत पद पर कार्यग्रहण की सूचना तुरन्त आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर को email-jdadmn.cce@gmail.com पर आवश्यक रूप से भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
3. सम्बन्धित कर्मचारी।
4. वेबसाईट प्रभारी- कृपया विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।
5. स्थापना शाखा।
6. रक्षित पत्रावली।


 सयुक्त निदेशक(प्रशासन),
 कॉलेज शिक्षा, राज०, जयपुर